[illegible]

[illegible] ... 25.1.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मांडल

25/1/19 पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित वादी के साक्ष्य हेतु वकील वादी अवसर चाहते हैं साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाता है वास्ते पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत दिनांक 29.1.19 को पेश हो।

29/1/19 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 15.2.19 को पेश हो।

30.1.19 वकील वादीगण एव प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे पत्रावली सामिल से तलबकी गई। प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि प्रकरण मे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। आपसी राजीनामा मे वादीगण एव प्रतिवादी सं० 01 लगायत 03 मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री किये जाने मे हम प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को कोई आपत्ति नही है। अत: वाद पत्र अनुसार डिक्री किया जावे। राजीनामा अनुसार वाद पत्र को स्वीकार करने की ईस्तदुआ चाही।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा आपसी राजीनामा हो जाने से वाद पत्र को स्वीकार किया

छोटेलाल

शंकर

[illegible]

[illegible]

मुन्ना

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाकर अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजीनम्बर 873 रकबा 13 बिस्वा नहरी मे वादी संख्या 01 व 02 का 2/9 हकहिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/6 हक हिस्सा एंव प्रतिवादी सं० 01 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 का 1/6 हकहिस्सा व प्रतिवादी सं० 03 का 1/3 हक हिस्सा का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा